19

भारत सरकार/Government of India
परमाणु ऊर्जा विभाग/Department of Atomic Energy
सचिवालय समन्वय अनुभाग/Secretariat Co-ordination Section

अणुशक्ति भवन/Anushakti Bhavan
छ.शि.म.मार्ग/C.S.M. Marg,
मुंबई/Mumbai- 400 001

सं./No. 1/1(5)/2008-SCS/284

मई/May 1st, 2009
5

कार्यालय ज्ञापन/OFFICE MEMORANDUM

विषय : परमाणु ऊर्जा विभाग मे कार्य निष्पादन संबंधी प्रोत्साहन योजना लागू करना।
Sub : Introduction of Performance Related Incentive Scheme (PRIS) in the Department of Atomic Energy.

....

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि संगठन एव कार्मिको द्वारा अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए पुरस्कार प्रदान करने की जरूरत को ध्यान में रखते हुए छठे वेतन आयोग ने परमाणु ऊर्जा विभाग में कार्य निष्पादन सबंधी प्रोत्साहन योजना लागू करने की सिफारिश की है

The undersigned is directed to state that the Sixth Central Pay Commission has recommended introduction of Performance Related Incentive Scheme (PRIS) in the Department of Atomic Energy keeping in view the need to reward the performance of the organisation and personnel in realizing its objectives

2.1 कार्य निष्पादन सबंधी प्रोत्साहन, वेतन का एक ऐसा परिवर्ती घटक है जो एक निर्धारित मूल्यांकन अवधि के लिए निर्धारित लक्ष्यो की तुलना में किसी व्यक्ति/समूह/संगठन के कार्य निष्पादन का मापन करने के उपरांत प्रदान किया जाता है जो न तो योगात्मक है और न ही सचयी । कार्य निष्पादन संबंधी प्रोत्साहन अपने आप स्वत: मिलने वाला ऐसा वेतन भी नहीं है जो किसी रैंक या पद के कर्तव्यों एवं उत्तरदायित्वों की प्रकृति के लिए प्रदान किया जाता है । कार्य निष्पादन संबंधी प्रोत्साहन का स्वरूप संगठन तथा अभिकल्पन विशिष्टताओं के अनुरूप होना चाहिए तथा नकद प्रोत्साहन के रूप मे या तो जब यह देय हो जाए तब या मासिक/तिमाही/वार्षिक आधार पर दिया जाना चाहिए। कार्य निष्पादन संबंधी प्रोत्साहन को एक संगठन के स्तर पर उसके समग्र ढांचे के भीतर अपनाने से पुरस्कार मे लचीलापन होगा तथा वह उन्नत कार्य निष्पादन एव प्रभावी उत्तरदायित्वपूर्ण सेवा प्रदान करने से सीधे तौर पर जुड़ा होगा।

Performance Related Incentive (PRI) is a variable component of the pay, which is awarded after the performance of individual/group/organization, measured against goals set for a given period of assessment, which is non-additive and non-cumulative. PRI is also not an automatic default pay, which is given for the nature of duties and responsibilities, for a certain rank or post. The form of PRI should be organization and design specific and payable as a cash incentive either when it becomes due or on a monthly/quarterly/annual basis. Adoption of PRIS at an organisation level within the overall framework will allow flexibility and directness of reward linked to improved performance and effective responsive service delivery

2.2 परमाणु ऊर्जा विभाग को इसकी पूर्व उपलब्धियों (ट्रैक रेकार्ड), कार्य-निष्पादन, नई खोजों एवं सामरिक कार्यक्रमों को पूरा करने के आधार पर हमेशा ही एक लक्ष्योन्मुखी (मिशन मोड) अनुसंधान एवं विकास संगठन की श्रेणी में रखा गया है। विभाग ने छठे वेतन आयोग की उपरोक्त सिफारिशों की जांच की तथा सभी संगत तथ्यों को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रपति परमाणु ऊर्जा विभाग में निम्न रूप में कार्य निष्पादन संबंधी प्रोत्साहन योजना लागू करते है :-

DAE has always been categorized as mission-mode R&D organization based on its track record, performance, innovations and realization of strategic programmes. The Department has examined the above recommendations of the Sixth Central Pay Commission and after taking all the relevant factors into account, the President is pleased to introduce PRIS in DAE as under :-

(क) <u>संगठनात्मक प्रोत्साहन</u>

परमाणु ऊर्जा विभाग के संगठन हेतु निर्धारित मिशन के लक्ष्यों की प्राप्ति के आधार पर विभाग के सभी कार्मिकों को 1 सितंबर 2008 से संगठनात्मक प्रोत्साहन प्रदान किया जाना जो मासिक आधार पर देय होगा तथा संगठन के समग्र कार्य निष्पादन की समीक्षा परमाणु ऊर्जा आयोग द्वारा पांच वर्ष में एक बार की जाएगी।

(a) <u>Organisational Incentive</u>

Organisational Incentive to be awarded to all personnel of DAE, payable on monthly basis with effect from 1st September 2008, based on achievement of set mission goals and review of overall performance of the Organisation once in five years by the Atomic Energy Commission.

(ख) <u>सामूहिक (ग्रुप) प्रोत्साहन</u>

सामूहिक प्रोत्साहन, एक वर्ष विशेष में, ऐसे विशिष्ट समूहों को वार्षिक आधार पर दिया जाना जो अनुसंधान एवं विकास के अग्रणी क्षेत्रों या अभिनव प्रौद्योगिकियों या कार्यक्रम संबंधी लक्ष्यों के अंतर्गत अपने निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त कर लेते हैं। इस प्रयोजन हेतु विभाग द्वारा गठित की जाने वाली विशेषज्ञ समिति (यां) लक्ष्य निर्धारित करेगी और साथ ही साथ उपलब्धियों की समीक्षा करेगी।

(b) <u>Group Incentive</u>

Group Incentive to be awarded to specific groups on an annual basis, based on their achieving set targets in the high end R&D areas or innovative technologies or programmatic goals in a particular year. The Expert Committee(s), to be constituted by the Department for this purpose, will set the targets as well as review the achievements.

(ग) <u>वैयक्तिक प्रोत्साहन</u>

सुयोग्य वैज्ञानिक एव तकनीकी कार्मिकों को दिनांक 1 जनवरी 2009 से पदोन्नति के समय उनके वैयक्तिक सराहनीय कार्य निष्पादन के मान्यता स्वरूप, परिवर्ती अतिरिक्त वेतन वृद्धिया प्रदान करना। योग्यता क आधार पर पदोन्नति हेतु समीक्षा के समय विभागीय पदोन्नति समितियों द्वारा वैयक्तिक उपलब्धियों पर विचार किया जाएगा तथा उनका मूल्याकन किया जाएगा ये समितियों समग्र समीक्षा अवधि के दौरान उम्मीदवार द्वारा प्रदर्शित अभिनवशीलता दिये गये कार्यों को पूरा करने तथा सृजनशीलता आदि का मूल्यांकन करेगी। मूल्यांकन के आधार पर विभागीय पदोन्नति समितियो द्वारा परिवर्ती अतिरिक्त वेतन वृद्धियों की सिफारिश की जाएगी।

(c) <u>Individual Incentive</u>

Grant of variable additional increments to deserving Scientific and Technical personnel at the time of promotion in recognition of individual meritorious performance with effect from 1st January 2009. Individual achievements will be considered and assessed by the Departmental Promotional Committees (DPCs) at the time of review for merit promotion which will evaluate the performance of the candidate including Innovativeness, accomplishment of assignments, creativity, etc., exhibited by the candidate during the aggregated period of review. Based on the assessment, variable additional increments will be recommended by DPCs.

3 उपरोक्त योजना लागू करने से होने वाले व्यय को विभाग के बजट में से ही पूरा किया जाएगा। उपरोक्त प्रत्येक प्रोत्साहन के संबध में विस्तृत आदेश बाद मे जारी किये जाएंगे।

The expenditure involved in the implementation of the above Scheme would be met from within the budget of the Department. Detailed orders in respect of each of the above incentive will follow.

सलग्नक उपरोक्त
Encl as above

(ए सुकुमारन/A. Sukumaran)
विशेष कार्य अधिकारी/Officer-on-Special-Duty

<u>परमाणु ऊर्जा विभाग की सभी इकाइयों के प्रधान</u>
<u>All Heads of Units of DAE.</u>

भारत सरकार/Government of India
परमाणु ऊर्जा विभाग/Department of Atomic Energy
सचिवालय समन्वय अनुभाग/Secretariat Co-ordination Section

अणुशक्ति भवन/Anushakti Bhavan,
छ. शि. म मार्ग/C.S.M. Marg,
मुंबई/Mumbai - 400 001

सं./No. 1/1(5)/2008-SCS/285

मई/May 1st 2009
5

कार्यालय ज्ञापन OFFICE MEMORANDUM

विषय : कार्य निष्पादन संबंधी प्रोत्साहन योजना (पीआरआईएस) - संगठनात्मक प्रोत्साहन की मंजूरी ।

Sub : Performance Related Incentive Scheme (PRIS) - Grant of Organisational Incentive.

***

अधोहस्ताक्षरी को, कार्य-निष्पादन संबंधी प्रोत्साहन योजना (पीआरआईएस) लागू करने के बारे में इस विभाग के दिनांक 01.05.2003 के कार्यालय ज्ञापन सं 1/1(5)/2008-एससीएस/294 का संदर्भ लेने और यह कहने का निदेश हुआ है कि राष्ट्रपति, विभाग की गतिविधियों के विभिन्न क्षेत्रों में अर्जित महत्वपूर्ण उपलब्धियों को ध्यान में रखते हुए पऊवि में पीआरआईएस के घटक के रूप में, परमाणु ऊर्जा विभाग और इसकी संघटक इकाइयों के सभी कार्मिकों को विभिन्न उद्देश्यों/लक्ष्यों की प्राप्ति के आधार पर दिनांक 1 सितंबर 2008 से मूल वेतन अर्थात वेतन बैंड में वेतन + ग्रेड वेतन के 20% की दर से मासिक आधार पर विशेष भत्ते के रूप में संगठनात्मक प्रोत्साहन देने की मंजूरी देते हैं।

The undersigned is directed to refer to this Department's O.M. No.1/1(5)/2008-SCS/284 dated 01.05.2009 regarding introduction of Performance Related Incentive Scheme (PRIS) and to state that as a component of PRIS in the Department of Atomic Energy, considering the notable achievements of the Department in various fields of its activity, the President is pleased to grant with effect from 1st September, 2008 the Organisational Incentive in the form of Special Allowance at the rate of 20% of basic pay i.e., pay in the pay band plus grade pay payable on a monthly basis, to all the personnel of the Department of Atomic Energy and its constituent units based on accomplishment of various objectives.

2. इस भत्ते की मंजूरी दिनांक 01-09-2008 से 31-8-2013 तक की अवधि के लिए है और इसे जारी रखने के लिए परमाणु ऊर्जा आयोग द्वारा उचित समय पर इसकी समीक्षा की जाएगी ।

The grant of this allowance is for the period from 01-09-2008 to 31-8-2013 and the same is subject to review by the Atomic Energy Commission at an appropriate time for its continuation.

3. किसी भी वित्त-वर्ष में, पऊवि और इसकी संघटक इकाइयों के कार्मिकों को इस भत्ते का भुगतान निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगा :-

The payment of this allowance to the personnel of DAE and its constituent units during any financial year will be subject to the following conditions :-

(i) पिछले कैलेंडर वर्ष के दौरान कर्मचारी की न्यूनतम उपस्थिति होनी चाहिए अर्थात यह कम से कम 150 कार्य दिवस होनी चाहिए । इस सीमित उद्देश्य हेतु प्रसूति एवं चिकित्सा के आधार ली गई और अनुमोदित पाठ्यक्रम के अध्ययन के लिए ली गई छुट्टी की गणना भी उपस्थिति के रूप में की जाएगी । तथापि वर्ष 2008-09 के आधे वर्ष के लिए आवश्यक कार्य दिवस 75 होंगे।

The employees should have minimum attendance i.e., not less than 150 working days during the preceding calendar year. Leave period on account of Maternity, medical grounds and for approved course of studies will also be counted for attendance for this limited purpose. However, for the half year 2008-09 the working days required would be 75

(ii) पिछले कैलेंडर वर्ष में कर्मचारी की गोपनीय रिपोर्ट में अंतिम ग्रेडिंग "औसत" अथवा इससे ऊपर की होनी चाहिए ।

The final grading of the employee in the Confidential Report of the preceding calendar Year should be "Average" or above.

4. इस विशेष भत्ते की मंजूरी निम्नलिखित परिस्थितियों में तत्काल वापस ले ली जाएगी :-

The grant of the Special Allowance shall be withdrawn Immediately under the following circumstances :-

(i) कर्मचारी के विरूद्ध प्रशासनिक कार्यवाई प्रारंभ होने पर और/अथवा उसका निलंबन होने पर। तथापि यदि कर्मचारी सभी आरोपों से बरी हो जाता है तो यह भत्ता पूर्वव्यापी प्रभाव से दे दिया जाएगा।

On initiation of disciplinary proceedings and/or placing an employee under suspension. However grant of this allowance shall be restored with retrospective effect, if the employee is exonerated of all charges

(ii) कर्मचारी द्वारा पऊवि के बाहर कहीं अन्य कोई नियुक्ति/स्वीकार कर लेने के कारण यदि वह विभाग में सेवारत न हो.

Employees not serving the DAE on account of taking up any other assignment outside DAE.

5. विशेष भत्ते के रूप में यह प्रोत्साहन एक अलग अंश या हिस्सा होगा और इसे मूल वेतन के हिस्से के रूप में मकान किराया भत्ता, महंगाई भत्ता, यात्रा भत्ता, पेंशन जैसे किसी उद्देश्य के लिए नहीं गिना जाएगा।

The incentive in the form of Special Allowance shall be a separate element and will not be treated as part of the basic pay for any purpose like HRA, DA, Transport Allowance, Pension, etc.

6 उपरोक्त योजना लागू करने में होने वाले व्यय को विभाग के बजट में से ही पूरा किया जाएगा और इसे संबंधित 'वेतन शीर्ष' के नाम डाला जाएगा

The expenditure involved in implementation of the above Scheme would be met from within the budget of the Department and debited to the respective "salary head"

7 विभाग के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों तथा स्वायत्त/सहायता प्राप्त निकायों के संबंध में अलग से आदेश जारी किए जाएंगे ।

Separate orders will be issued in respect of the Public Sector Undertakings and Autonomous / Aided Bodies under the Department.

संलग्नक: उपरोक्त
Encl: as above

(ए. सुकुमारन/A. Sukumaran)
विशेष कार्य अधिकारी/Officer-on-Special-Duty

<u>पऊवि की सभी संघटक इकाइयों के प्रधान All Heads of Units of DAE.</u>

भारत सरकार/Government of India
परमाणु ऊर्जा विभाग/Department of Atomic Energy
सचिवालय समन्वय अनुभाग/Secretarial Co-ordination Section

अणुशक्ति भवन/Anushakti Bhavan,
छ. शि. म मार्ग/C.S.M. Marg,
मुंबई/Mumbai - 400 001

सं./No. 1/1(5)/2008-SCS/286

मई/May 1st. 2009 5

कार्यालय ज्ञापन OFFICE MEMORANDUM

विषय : कार्य निष्पादन संबंधी प्रोत्साहन योजना (पीआरआईएस) - सामूहिक प्रोत्साहन की मंजूरी ।

Sub : Performance Related Incentive Scheme (PRIS) - Grant of Group Incentive.

***

अधोहस्ताक्षरी को, कार्य-निष्पादन संबंधी प्रोत्साहन योजना (पीआरआईएस) लागू करने के बारे में इस विभाग के दिनांक 01.05.2003 कार्यालय ज्ञापन स 1/1(5)/2008-एससीएस/284 का संदर्भ लेने और यह कहने का निदेश हुआ है कि राष्ट्रपति, पीआरआईएस के घटक के रूप में, वित्त वर्ष के दौरान व्यक्ति के मूल वेतन अर्थात वेतन बैंड में वेतन + ग्रेड वेतन की 10% के वार्षिक मूल्य की दर से विशेष भत्ते के रूप में सामूहिक प्रोत्साहन देने की मंजूरी देते हैं । यह सामूहिक प्रोत्साहन, समूह के सदस्यों को वार्षिक मूल्यांकन के आधार पर प्रतिवर्ष देय है.। यह सामूहिक प्रोत्साहन, अनुसंधान केंद्र/इकाई/परियोजना/समूह के स्तर पर ऐसे विभिन्न समूहों के सदस्यों को प्रदान किया जाएगा जिन्होंने किसी वित्तीय वर्ष के लिए संगठनात्मक उद्देश्य को पूरा करने के लिए किसी विशिष्ट प्रौद्योगिकी/डिजाइन/प्रक्रिया/उत्पाद/प्रणाली/ कार्यक्रमोन्मुखी लक्ष्यों को प्राप्त करने या उत्कृष्ट प्रदर्शन की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान किया हो।

The undersigned is directed to refer to this Department's O.M. No.1/1(5)/2008-SCS/284 dated 01.05.2009 regarding introduction of Performance Related Incentive Scheme (PRIS) and to state that as a part of PRIS, the President is pleased to grant Group Incentive in the form of Special Allowance at the rate of 10% of the basic pay i.e., pay in the pay band plus grade pay of the individual during the financial year. The Group Incentive is payable to the members of the Group annually based on annual assessment. The Group Incentive will be awarded to the members of various Groups at the level of Research Centre/Unit/Project/ Group involved in realization of specific technology / design / processes / products/ systems / programmatic goals, exhibiting excellence which has significantly contributed towards the realization of the organizational objective during any given financial year.

2 सामूहिक प्रोत्साहन की यह योजना दिनांक 1.4.2009 से प्रारंभ होगी। इसके लिए हर समूह के अंदर कार्मिकों के लिए प्रत्येक वर्ष के लक्ष्यों की पहचान एक विशेषज्ञ समिति के अनुमोदन से यथाशीघ्र की जाएगी। इस उद्देश्य हेतु विस्तृत प्रस्ताव इकाइयो के प्रधान, पऊवि को भेजेंगे। बाहरी विशेषज्ञों को सदस्य के रूप मे शामिल करके विशेषज्ञ समितियो का गठन पऊवि के द्वारा किया जाएगा।

The scheme of Group Incentive shall commence from 1.4.2009 Towards this, the Identification of goals/targets for personnel within each group will be made at the earliest for each year with the approval of an Expert Committee. For this purpose, Heads of Units will send detailed proposals to DAE Expert Committees including external experts as members will be constituted by DAE

3 प्रत्येक वित्त वर्ष के दौरान, विभिन्न समूहो के वैज्ञानिक एव प्रौद्योगिक विकास/उपलब्धियो को वित्त वर्ष की समाप्ति पर, संबंधित इकाइयो के प्रधान की संस्तुतियों के साथ संबंधित विशेषज्ञ समिति के सामने समीक्षा हेतु प्रस्तुत किया जाएगा। इनकी जाँच-पड़ताल निर्धारित लक्ष्यों के परिप्रेक्ष्य में की जाएगी तथा विशेषज्ञ समितियों की संस्तुतिया, अनुमोदन हेतु पऊवि के सचिव को प्रस्तुत की जाएँगी। समीक्षा एवं अनुमोदन की पूरी प्रक्रिया वित्त-वर्ष समाप्त होने के बाद चार माह के अंदर पूरी कर ली जानी चाहिए।

The Scientific & Technological developments / achievements by different Groups during any financial year would be put-up for review to the respective Expert Committee, on completion of the financial year, with the recommendations of the concerned Heads of Units. These would be examined with regard to targets set and recommendations of the Expert Committees would be submitted to the Secretary, DAE for approval. The entire process of review and approval should be completed within four months of completion of the financial year

4 किसी भी वित्त-वर्ष मे, इस भत्ते का भुगतान प्रत्येक समूह के लिए विगत वर्ष मे कार्य निष्पादन के अनुसार तथा निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगा :-

The payment of this allowance during any financial year will be with reference to the performance of each group in the preceding year and subject to the following conditions :-

(i) पिछले कैलेंडर वर्ष के दौरान कर्मचारी की न्यूनतम उपस्थिति होनी चाहिए अर्थात यह कम से कम 150 कार्य दिवस होनी चाहिए । इस सीमित उद्देश्य हेतु प्रसूति एवं चिकित्सा के आधार ली गई और अनुमोदित पाठ्यक्रम के अध्ययन के लिए ली गई छुट्टी की गणना भी उपस्थिति के रूप में की जाएगी ।
The employees should have minimum attendance i.e., not less than 150 working days during the preceding calendar year. Leave period on account of maternity, medical grounds and for approved course of studies will also be counted for attendance for this limited purpose..

(ii) पिछले कैलेंडर वर्ष में कर्मचारी की गोपनीय रिपोर्ट में अंतिम ग्रेडिंग "औसत" अथवा इससे ऊपर की होनी चाहिए ।
The final grading of the employee in the Confidential Report of the preceding calendar Year should be "Average" or above.

5 इस विशेष भत्ते की मंजूरी निम्नलिखित परिस्थितियों में तत्काल वापस ले ली जाएगी
The grant of this allowance shall be withdrawn immediately under the following circumstances :-

(i) कर्मचारी के विरूद्ध प्रशासनिक कार्रवाई प्रारंभ होने पर और/अथवा उसका निलंबन होने पर। तथापि यदि कर्मचारी सभी आरोपों से बरी हो जाता है तो यह भत्ता पूर्व-व्यापी प्रभाव से दे दिया जाएगा।
On initiation of disciplinary proceedings and/or placing an employee under suspension. However, grant of this allowance shall be restored with retrospective effect, if the employee is exonerated of all charges.

(ii) कर्मचारी द्वारा पऊवि के बाहर कहीं अन्य कोई नियुक्ति/स्वीकार कर लेने के कारण यदि वह विभाग में सेवारत न हो।
Employees not serving the DAE on account of taking up any other assignment outside DAE.

6. विशेष भत्ते के रूप में यह प्रोत्साहन, एक अलग अंश या हिस्सा होगा और इसे मूल वेतन के हिस्से के रूप में मकान किराया भत्ता, मंहगाई भत्ता, यात्रा भत्ता, पेंशन जैसे किसी उद्देश्य के लिए गिना नहीं जाएगा।
The incentive in the form of Special Allowance shall be a separate element and will not be treated as part of basic pay for any purpose like HRA, DA, Transport Allowance, Pension, etc.

7. उपरोक्त योजना लागू करने से होने वाले व्यय को विभाग के बजट में से ही पूरा किया जाएगा और संबंधित वेतन शीर्ष के नामे डाला जाएगा।
The expenditure involved in implementation of the above Scheme would be met from within the budget of the Department and debited to respective 'salary heads'.

8. जिन इकाइयों में कोई प्रोत्साहन योजना पहले से ही चल रही है वहाँ वित्त वर्ष के प्रारंभ में संबंधित समूह, प्रचलित योजनाओं में से जो भी योजना उनके लिए अधिक लाभदायक हो उसे चुन लेंगे।
In the case of units where some incentive schemes are already in operation, the concerned group shall choose at the beginning of the financial year, only one of the incentive schemes which is more beneficial to them.

9. इकाइयों के प्रधान इस मामले में आवश्यक कार्रवाई करने के लिए प्राधिकृत हैं
Heads of Units are authorised to take necessary action in the matter.

सलग्नक: उपरोक्त
Encl : as above

(ए. सुकुमारन/A. Sukumaran)
विशेष कार्य अधिकारी/Officer-on-Special-Duty

<u>पऊवि की सभी संघटक इकाइयों के प्रधान All Heads of Units of DAE.</u>